समाचारपत्र रजिस्ट्रीकरण (केन्द्रीय) नियम, 1956

का0 नि0 आ0 1519 – केन्द्रीय सरकार प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 20 के द्वारा प्रदत्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त समाचारपत्र रजिस्ट्रीकरण (केन्द्रीय)नियम, 1956 है ।

(2) ये 1 जुलाई 1956 को प्रवृत्त्त होंगे ।

2. परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम ' से प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1867 अभिप्रेत है,

(ख) 'प्ररूप' से इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है,

(ग) 'प्रकाशक' से समाचारपत्र का प्रकाशक अभिप्रेत है ।

3. घोषणा का प्रारूप – अधिनियम की धारा 5 के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा प्ररूप 1 में होगी और घोषणा करने वाले व्यक्ति असमें पूरी और सही विशिष्टियां देगा ।

4. **संबंधित व्यक्ति और प्रेस रजिस्ट्रार को घोषणा आदि की प्रतियां भेजना** – मजिस्ट्रेट की प्राधिकारिक मुद्रा से अनुप्रमाणित प्रत्येक घोषणा कि एक प्रति या घोषणा अधिप्रमाणित करने से इन्कार करने वाल प्रत्येक आदेश की एक प्रति मजिस्ट्रेट द्वारा घोषणा करने वाले और उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को तथा प्रेस रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री डाक से भेजी जाएगी :

परन्तु घोषणा करने वाले और उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की दशा में, ऐसी कोई प्रति उसे व्यक्तिगत रूप से परिदत्त की जा सकती है यदि वह उस समय जब अनुप्रमाणित किया जाता है या इंकारी का आदेश पारित किया जाता है, उपस्थित है ।

5. प्रेस रजिस्ट्रार को समाचारपत्रों की प्रतियों का परिदान – (1) प्रत्येक प्रकाशक, अपने समाचारपत्र के किसी अंक के प्रकाशन के 48 घंटों के भीतर उस अंक की एक प्रति डाक से या संदेशवाहक द्वारा प्रेस रजिस्ट्रार को भेजेगा :

परन्तु जहां कोई समाचारपत्र एक ही घोषणा के अधीन एक से अधिक संस्करण प्रकाशित करता है और किसी ऐसे संस्करण के किसी अंक के लिए प्रभारित फुटकर विक्रय कीमत या उसके पृष्ठों की संख्या किसी अन्य संस्करण के किसी अंक से भिन्न है तो ऐसे प्रत्येक संस्करण के अंक की एक प्रति भी प्रेस रजिस्ट्रार को उसी रीति से भेजी जाएगी ।

(2) अपनियम (।) के प्रयोजन के लिए

(क) हिन्दी, उर्दू या अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाने वाले समाचारपत्रों के अंकों की प्रतियां नई दिल्ली में प्रेस रजिस्ट्रार को भेजी जाएंगी,

(ख) नीचे स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट प्रादेशिक भाषा में से किसी में प्रकाशित समाचारपत्रों के अंकों की प्रतियां नीचे स्तम्भ 2 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थान पर भारत सरकार के सूचना और

प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएंगी और वह अधिकारी प्रेस रजिस्ट्रार की ओर से ऐसे समाचारपत्रों को परिदान लेगा ।

1. एस आर ओ, 1519 दिनांक 22 जून, 1956
2. जी एस आर, 1222 द्वारा सब्स, दिनांक 05 अक्टूबर, 1960
3. जी एस आर, 1059 द्वारा सब्स दिनांक 29 अगस्त, 1960

पंजाबी	जालन्धर
बंगला	कोलकाता
उडिया	कटक
असमिया	गोवाहाटी
तमिल	चेन्नई
तेलुगू	हैदराबाद
मलयालम	त्रिवेन्द्रम
मराठी	मुम्बई
गुजराती	अहमदाबाद
कन्नड़	बंगलौर
कोंकनी	मुंबई
पुर्तगाली	मुंबई
कश्मीरी	श्रीनगर

(ग) किसी अन्य भाषा में प्रकाशित समाचारपत्र के अंकों की प्रतियां प्रेस रजिस्ट्रार, नई दिल्ली को भेजा जाएंगी ।

6. वार्षिक विवरण – (1) प्रत्येक प्रकाशक अपने समाचारपत्र या अपने समाचारपत्रों में से प्रत्येक की बाबत प्रेस रजिस्ट्रार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्ररूप 2 में एक वार्षिक विवरण भेजेगा जिसमें उस प्ररूप में निर्दिष्ट विशिष्टियां होंगी । वार्षिक विवरण प्रेस रजिस्ट्रार को आगामी वर्ष की मई के अंतिम दिन या उससे पूर्व पहुंचाना चाहिए

टिप्पणी- 'वार्षिक विवरण की संशोधित चक्रावधि को ध्यान में रखते हुए, 1 जनवरी 2002 से 31 मार्च 2002 तक की अवधि के लिए प्रत्येक प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला वार्षिक विवरण अधिव्यक्त कर दिया गया है ।'

(2) जब भी किसी विवरण में उल्लिखित किसी समाचारपत्र की फुटकर विक्रय कीमत में कोई परिवर्तन होता है तब प्रकाशक ऐसे परिवर्तन के 48 घंटे के भीतर उसकी संसूचना प्रेस रजिस्ट्रार को भेजेगा ।

7. रजिस्टर रखना- (1) प्रेस रजिस्ट्रार प्ररूप 3 में एक समाचारपत्र रजिस्टर रखेगा ।

(2) रजिस्टर के पृष्ठ क्रमवर्ती रूप से संख्यांकित होंगे और समाचारपत्र की बाबत प्रविष्टियां एक नए पृष्ठ से आंरभ होंगी । जब किसी समाचारपत्र की बाबत प्ररूप 1 में प्रमाणित विशिष्टियां रजिस्टर में प्रविष्टि कर दी जाएं तब प्रेस रजिस्ट्रार उस समाचारपत्र को एक रजिस्ट्रीकरण संख्यांक आबंटित करेगा । रजिस्टर में प्रारंम्भिक प्रविष्टियां और पश्चातवर्ती परिवर्तन, यदि कोई हैं, प्रेस रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

(3) प्रेस रजिस्ट्रार प्रत्येक समाचारपत्र की बाबत, रजिस्टर में सुसंगत प्रविष्टियां कराएगा और उसमें कोई प्रविष्टि कराने के पूर्व वह समाचारपत्र द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए विवरणों का ऐसा सत्यापन कर सकता है जैसा वह आवश्यक समझे ।

8. प्रत्येक समाचारपत्र में प्रकाशित की जाने वाली विशिष्टियां- (1) प्रकाशक अपने समाचारपत्र के प्रत्येक अंक में प्रत्येक प्रति की फुटकर विक्रय कीमत प्रकाशित करेगा या जब ऐसी कोई विक्रय कीमत नहीं है, तब उचित स्थान में यह प्रकाशित करेगा कि वह मुफ्त वितरण के लिए है । प्रकाशक प्रत्येक वर्ष की फरवरी के अंतिम दिन के पश्चात् के प्रथम अंक में प्ररूप में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां भी प्रकाशित करेगा ।

(2) प्रत्येक समाचारपत्र की हर एक प्रति पर मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी और संपादक के नाम और समाचारपत्र के मुद्रण और प्रकाशन का स्थान निम्नलिखित रूप मे साफ-साफ मुद्रित किया जाएगा:

‘’...(स्वामी का नाम) की ओर से ....द्वारा मुद्रित..द्वारा प्रकाशित तथा ....(मुद्रण का स्थान) में मुद्रित और ....(प्रकाशन के स्थान का नाम)....................... से प्रकाशित । संपादक .... ।‘

टिप्पण- यह प्ररूप प्रत्येक समाचारपत्र की परिस्थितियों के अनुरूप उपांतरति किया जा सकता हैं । उदाहरण के लिए, जहां मुद्रक, प्रकाशक, और स्वामी एक ही है वहां यह इस
प्रकार से हो सकता है ।

‘’मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी.............................।‘’ संपादक का नाम हर दशा में पृथक् दिया जाना चाहिए ।

9. रजिस्टर से उद्वरणों का दिया जाना- प्रेस रजिस्ट्रार उसे लिखित में आवेदन करने पर और प्रत्येक समाचारपत्र की बावत पांच रूपए फीस का संदाय करने पर आवेदक को रजिस्टर के उद्धरण सम्यक् रूप से प्रमाणित करके देगा ।

10. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र- (1) जब प्रकाशक मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा करे तब प्रेस रजिस्ट्रार घोषणा की प्रति प्राप्त होने के पश्चात, यथासाध्य शीघ्रता से, प्रकाशक को प्ररूप 5 में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देगा ।

(2) समाचारपत्र के प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी प्राप्त होने पर और उस समाचारपत्र को नियम 7(2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक आबंटित करने पर भी प्रेस रजिस्ट्रार प्रकाशक को प्ररूप 5 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दे सकता है ।

(3) जब भी उपनियम (1) या (2) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित विशिष्टियों में कोई परिवर्तन हो, तब प्रकाशक, यथाशक्य शीघ्र, प्रेस रजिस्ट्रार को ऐसे परिवर्तन की संसूचना देगा और उसे ऐसे प्रमाणपत्र भी वापस करेगा तथा ऐसी जानकारी और प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर प्रेस रजिस्ट्रार रजिस्टर में सुसंगत प्रविष्टियां कराएगा और परिवर्तित प्रमापत्र पुन: देगा ।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस घोषणा पत्र के, जिसके अधीन समाचारपत्र प्रकाशित किया जाता है, शून्य हो जाने पर या प्रेस रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए समाचारपत्र रजिस्टर से समाचारपत्र का नाम हटाए जाने पर प्रभावशील नहीं रहेगा ।

11. वार्षिक रिपोर्ट – प्रेस रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व केन्द्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट देगा जिसमें भारत में मुद्रणालय के बारे में जानकारी और आंकड़े होंगे और, विशिष्टतया समाचारपत्रों के विभिन्न प्रवर्गो के परिचालन रूख और एक से अधिक समाचारपत्र के एकल स्वामित्व के बारे क्या रख है उसकी जानकारी और आंकड़े होंगे:-

12. शस्ति:- इन नियमों के उपबंधों का किसी भी रूप में उल्लंघन दंडनीय है, जो रू 1000/- तक हो सकता है ।

टिप्पणी: यदि मुद्रक और प्रकाशक एक ही व्यक्ति नहीं है तो मुद्रक और प्रकाशक द्वारा पृथक्-पृथक् घोषणा भरी जानी चाहिए।

''31 मार्च, 20........... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए........... नामक समाचारपत्र की बाबत वार्षिक विवरण।''

प्रारूप 2

(नियम (1) देखिए)

क्रम सं0	मद	विशिष्टियों के ब्यौरे	वर्ष के दौरान पिरवर्तनों की यिद कोई है, विशिष्टियां और परिवर्तन की तारीख (तारीखें)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

''क'' साधारण

1. घोषणा जिसके अंतर्गत समाचारपत्र प्रकाशित किया जाता है,
2. समाचारपत्र का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
3. समाचारपत्र का नाम
4. भाषा (भाषाएं) जिसमें (जिनमें) समाचारपत्र प्रकाशित किया जाता है,
5. समाचारपत्र की प्रकाशन-आवधिकता
   (क) दैनिक है या त्रिसाप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक या पाक्षिक या किसी और नियत अवधि का है।
   (ख) दैनिक की दशा में कृपया यह उल्लेख करें कि वह प्रात:कालीन समाचारपत्र है या सांध्यकालीन
   (ग) दैनिक समाचारपत्र से भिन्न समाचारपत्र कि दशा में कृपया उस तारीख(उन तारीखों) का उल्लेख करें जिनको वह प्रकाशित किया जाता है।
6. प्रकाशक का नाम
   राष्ट्रीयता
   पता
7. प्रकाशन का स्थान

   (कृपया पूरा डाक पता दीजिए)
8. मुद्रक का नाम
   राष्ट्रीयता

पता

9 मुद्रणालय (मुद्रणालयों) का (के) नाम जहॉ मुद्रण किया जाता है और उस भवन का सही और संक्षिप्त विवरण जिसमें (जिनमें) मुद्रणालय अवस्थित है (हैं)

10. संपादक का नाम

राष्ट्रीयता

पता

11. (क) समाचारपत्र के पृष्ठ का इंचों के आकार और विवरण अर्थात डमी, क्राउन आदि

(ख) दैनिक, द्विसाप्ताहिक, साप्ताहिक समाचारपत्र की दशा में प्रति सप्ताह पृष्ठों की औसत संख्या

(ग) अन्य समाचारपत्रों की बाबत प्रति अंक पृष्ठों की औसत संख्या

12. वर्ष में प्रकाशन के दिनों की संख्या

अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग

मैं .... घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

प्रकाशक के हस्ताक्षर ....

तारीख..................

1.	2.	3.	4.	5.

'ख' परिचलन

अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग

13. (क) प्रति प्रकाशन दिन मुद्रित प्रतियों की औसत संख्या

(ख) यदि समाचारपत्र का प्रकाशन दैनिक नहीं है तो कृपया उन दिनों की संख्या का उल्लेख करें जिनको समाचारपत्र मास के दौरान प्रकाशित किया गया था और उनमें से प्रत्येक दिन मुद्रित प्रतियों की संख्या दें

14. प्रति प्रकाशन दिन विक्रय की गई प्रतियों की औसत संख्या

15.प्रति प्रकाशन दिन मुफ्त वितरण की गई प्रतियों (जिसके अंतर्गत भेंट स्वरूप, वाउचर विनिमय बोनस, सेम्पल और कार्यालय प्रतियॉ भी हैं) की औसत संख्या

16. एक प्रति की फुटकर विक्रय कीमत

(क) यदि समाचारपत्र मुफ्त वितरण के लिए है तो कृपया उल्लेख करें कि वह '' मुफ्त वितरण कर लिए'' है।

(ख) यदि उसका केवल वार्षिक चन्दा है और कोई फुटकर कीमत नहीं है तो कृपया वार्षिक चन्दे का उल्लेख करें।

प्रकाशक की घोषणा

मैं ....जो कि .... का प्रकाशक हूं घोषणा करता हूं कि ऊपर के विवरण में दर्शित विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी, ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं।

तारीख.........................   प्रकाशक के हस्ताक्षर..................................

चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट या अर्हित लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

हमने तारीख ....को समाप्त होने वाली अवधि के लिए ....(समाचारपत्र का नाम) की बहियों और पुस्तकों की परीक्षा कर ली है और वह सब जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जों हमें अपेक्षित थे । हमारी राय में ऊपर दिया गया संलग्न विवरण प्रकाशक के ....को समाप्त होने वाली अवधि के विक्रयों का, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि लेखा पुस्तकों में दिखाया गया है, सही और ठीक विश्लेषण प्रस्तुत करता है

(हस्ताक्षर)

(स्पष्ट अक्षरों में नाम) चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट या अर्हित
लेखा परीक्षक रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

तारीख........................

‘ ग ‘ स्वामीत्व	नाम	पता	शेयर का मूल्य	क्या अन्य शेयरधारकों से विवाह द्वारा ,रक्त नातेदारी द्वारा या अन्य रूप में संबंधित है ।
1.	2.	3.	4.	5.

17. (क) समाचारपत्र के स्वामियों के नाम और पते(केवल ऐसे व्यक्तियों की जो समाचारपत्र के स्वामी हैं,और ऐसे भागीदारों या शेयरघारकों की,जो पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक अंश के धारक है, विशिष्टियां देना आवश्यक है ।

(ख) यह भी उल्लेख कीजिए कि

1. यदि स्वामी कोई फर्म है तो क्या यह रजिस्ट्रीकृत है या अरजिस्ट्रीकृत है और उन भागीदारों की विशिष्टियां दीजिए जो पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक

अंश के स्वामी हैं ।

2. यदि स्वामी कोई ज्वाइन्ट स्टाफ कंपनी है तो क्या वह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राईवेट लिमिटेड कंपनी है और निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के तथा ऐसे शेयर धारकों के नाम और पते दीजिए जो पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक अंश के धारक हैं ।

1. यदि स्वामी कोई जवाइन्ट स्टाफ कंपनी है और उसका प्रबंध कोई प्रबंध मंडल करता है तो क्या प्रबन्धकर्ता कोई व्यक्ति है या कोई फर्म है या कोई ज्वाइन्ट स्टाक कंपनी है और, यथास्थिति भाग (क)में या भाग(ख) की मद (i) और (ii) में निर्दिष्ट विशिष्टियां दीजिए ।

2. यदि स्वामी कोई न्यास,सहकारी समिति या संगम है तो न्यास/कार्यकारिणी के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और पते, आदि दीजिए ।

5. किसी अन्य प्रकार के स्वामित्व का स्वरूप और प्रत्येक स्वामी के अंश की बाबत ब्यौरे ।

टिप्पण-

(i) सभी सुसंगत जानकारी समाचारपत्र के प्रभावशील स्वामित्व के प्रकट करने के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए

(ii) जो मदें लागू नहीं हैं उन्हें काट दीजिए ।

18. ऐसे ज्ञात बन्धपत्रधारक ,डिवेन्चरधारक , बन्धकदार और अन्य प्रतिभूतिधारक जो बन्धपत्रों, बंधकों या अन्य प्रतिभूतियों के 1 प्रतिशत या उससे अधिक के स्वामी या धारक हैं ।

टिप्पण- जहां स्टाकधारण या प्रतिभूतिधारक कंपनी की बहियों में न्यासी के रूप में या किसी अन्य वैश्वासिक संबंध के रूप में दर्शाया गया है वहां उस व्यक्ति या निगम का नाम भी जिसके लिए ऐसा न्यासी कार्य कर रहा है, दिया जाना चाहिए ।

मैं--..................................घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

तारीख--------------------   प्रकाशक के हस्ताक्षर

समाचारपत्र रजिस्टर

प्ररूप 3

(नियम 7(1) देखिए)

1. घोषणा संख्यांक जिसके अंतर्गत समाचारपत्र प्रकाशित किया जाता है
2. समाचारपत्र का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
3. समाचारपत्र का नाम
4. भाषा(भाषाएं) जिसमें(जिनमें) समाचारपत्र प्रकाशित किया जाता है
5. (क) समाचारपत्र की प्रकाशन-आवधिकता
   (ख) प्रकाशन का दिन/तारीख या तारीखें (उस समाचारपत्र की दशा में जो प्रतिदिन प्रकाशित नहीं किया जाता)
6. संपादक का नाम

राष्ट्रीयता

पता

7. मुद्रक का नाम

राष्ट्रीयता

पता

8. प्रकाशक का नाम

राष्ट्रीयता

पता

9. (क) उस भवन का सही और संक्षिप्त विवरण जिसमें मुद्रण कार्य किया जाता है ।

(ख) प्रकाशन का स्थान

10. (क) दैनिक,द्विसाप्ताहिक,त्रिसाप्ताहिक और साप्ताहिक समाचारपत्रों की बाबत प्रति सप्ताह पृष्ठों की औसत संख्या ।

(ख) अन्य समाचारपत्रों की बाबत प्रति अंक पृष्ठों की औसत संख्या

11. वर्ष में प्रकाशन के दिनों की कुल संख्या

12. (क) मुद्रित प्रतियों की औसत संख्या ....

(ख) विक्रय की गई प्रतियों की औसत संख्या 1. 2.

(ग) मुफ्त वितरण की गई प्रतियां की औसत संख्या ....

जनवरी से

जुलाई से

जून तक

दिसम्बर तक

13. प्रत्येक प्रति की फुटकर विक्रय कीमत

उन व्यक्तियों के, जो समाचारपत्र के स्वामी हैं और उन भागीदारों या शेयरधारकों के, जो कुल पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक अंश के धारक हैं, नाम और पते

....

..................................समाचारपत्र के स्वामित्व और अन्य विशिष्टियों के बारे में विवरण जो प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम दिन के पश्चात् प्रथम अंक में प्रकाशित किया जाएगा ।

प्ररूप 4

(नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशक का स्थान
2. प्रकाशन की नियत अवधि
3. मुद्रक का नाम
   राष्ट्रीयता
   पता
4. प्रकाशक का नाम
   राष्ट्रीयता
   पता
5. संपादक का नाम
   राष्ट्रीयता
   पता
6. उन व्यक्तियों के, जो समाचारपत्र के स्वामी हैं और उन भागीदारों या शेयरधारकों के, जो कुल पूंजी के । प्रतिशत से अधिक अंश के धारक हैं, नाम और पते ।

मैं ....घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

तारीख ....
प्रकाशक के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण-प्रमाणपत्र

प्ररूप 5

/नियम 10 देखिए/

प्रमाणित किया जाता है कि..................नामक समाचारपत्र को प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के अधीन रजिस्टर कर लिया है ।

1 समाचारपत्र का नाम

2 समाचारपत्र का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

3 भाषा/भाषाएं जिसमें/जिनमें समाचारपत्र प्रकाशित किया जाता है

4 समाचारपत्र की प्रकाशन आवधिकता और वह दिन/तारीख जिसको/जिनको वह प्रकाशित किया जाता है

5 समाचारपत्र की फुटकर विक्रय कीमत

6 प्रकाशक का नाम
राष्ट्रीयता
पता

7 मुद्रक का नाम
राष्ट्रीयता
पता

8 संपादक का नाम
राष्ट्रीयता
पता

9 उस परिसर का सही और संक्षिप्त विवरण जिसमें मुद्रण किया जाता है ।

10 प्रकाशन का स्थान

तारीख भारत का समाचारपत्र रजिस्ट्रार

टिप्पण :- मूल नियम क.नि.आ. 1519, दिनांक 22-6-1956 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा तत्पश्चात् (1) का.नि.आ. 1971, दिनांक 7.6.1957; (2) सा.का.नि. 16, दिनांक 4-2-1958; (3) सा.का.नि. 721, दिनांक 14-4-1960; (4) सा.का.नि. 1059, दिनांक 29-8-1950; (5) सा.का.नि. 1222, दिनांक 5-10-1960;(6) सा.का.नि.1520, दिनांक 4-12-60; (7) सा.का.नि.85, दिनांक 5-1-1963; (8)सा.का.नि. 723, दिनांक 17-4-1963; (9) सा.का.नि; 1687, दिनांक 17-10-1963; (10) सा.का.नि; 1809 दिनांक 16-11-1963; (11) सा.का.नि. 1872, दिनांक 13-12-1965; (12) सा.का.नि. 304, दिनांक 26-2-1956; (13)सा.का.नि. 823, दिनांक 12-3-1969; (14) अधिसूचना सं. 4-9-68 कोर्ड/सा.का.नि., दिनांक 7-10-1969; (15) सा.का.नि. 202, दिनांक 20-1-1970; (16) सा.का.नि. 241, दिनांक 23-5-2002 द्वारा संशोधित किए गए ।